

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>24.7.14</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 16.9.14 130</p>	
<p>16.9.14</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 16.1.15 130</p>	
<p>16-1-15</p>	<p>उपरोक्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 8.5.15... को पेश हो।</p>	
<p>22.6.15</p>	<p>पत्रावली कोर्ट के समक्ष पेश करने पर पेश वादी प्रतिवादीगण ने उपस्थित हुए। कोर्ट शर्तनामा प्रपत्र पेश किया गया। राजस्थान रेन्वार्ड अनुसार वाद पत्र करण सं. 2 के अनुसार विभाजन कर दिया जाने पर पत्रावली को कोर्ट उपस्थित नहीं आता। उपरोक्त किया जाता है कि ग्राम चतुर्भुज में वादी प्रतिवादीगण के वाद पत्र की करण संख्या 02 में वादीगत उत्तरा लिफात का हिस्से अनुसार वादवादा कर राजस्थान रेन्वार्ड में अलग अलग नामा भोषित कर। वाद पत्र व शर्तनामा प्रपत्र को कोर्ट पेश किया जावे। इसी कार्य को आज यह निर्णय सुले प्राप्त कर शुनालत गया। पत्रावली कराली शुमार होकर जम्बल से वास हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गण्डल</p>	

पीठ
...
व
म
र
f

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7) माण्डल
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान : अमरगढ़

पीठासीन अधिकारी : - देवी सिंह

.....
उनवान बन्ना
बनाम बन्ना

दावा बाबत 53 रा. का अ.

मुकदमा नम्बर :- 18/111

निर्णय दिनांक 22.6.15

वादी की ओर से रुनगं की व प्रतिवादी की आरे

से रुनगं की उपस्थिति में इसवाद में आज तारीख 22.6.15

को अमरगढ़ (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी

माण्डल के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और

डिक्री दी जाती है कि

वादी, प्रतिवादी शर्जीसामा अरुमार, वाद पत्र की परामर्श

अरुमार 02 के वर्गित अरुमार जियात का हिस्से अरुमार

बहवाडा कर शर्जीसामे रेण्ड में अंशुन कर। वाद पत्र

व शर्जीसामे की प्रति अंशुन।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 22.6.15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
तहसीलदार माण्डल देवी अरुमार
पालाना/कोस
(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल
प्रतिवादी

क्र.सं.	विवरण	माण्डल	रूपया
1.	वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2.	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3.	प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4.	रूपये पर प्लोडर की फीस		
5.	साक्षियों के लिए निवाई व्यय		
6.	कमिश्नर की फीस		
7.	आदेशिका की तामिल जोड़		